Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- पुलिस थाना गांधीनगर, आयुक्तालय जयपुर पूर्व, की उप निरीक्षक पुलिस 1,25,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 19 नवम्बर, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपीया **राजकुमारी जुनेजा निवासी, बृजपुरी, प्रतापनगर,जयपुर हाल उपनिरीक्षक, पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर पूर्व, आयुक्तालय जयपुर को 1,25,000/- रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों डिटेन किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के खिलाफ पुलिस थाना गांधीनगर, आयुक्तालय जयपुर पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 380/2024 अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471 आईपीसी में दर्ज है, उक्त प्रकरण में परिवादी के खिलाफ कोई कार्यवाही नही करने एवं मुकदमें में एफआर लगाने की ऐवज में 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर आज दिनांक 19.11.2025 को 1,25,000/- रूपये लेते हुऐ रंगे हाथो गिरफ्तार कर उप निरीक्षक राजकुमारी जुनेजा से रिश्वत राशि बरामद की गई।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस- द्वितीय श्री आनन्द शर्मा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. जयपुर नगर तृतीय जयपुर के **पुलिस उप अधीक्षक श्री सुरेश कुमार स्वामी** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री नाथू लाल बंशीवाल** एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीया श्रीमती राजकुमारी जुनेजा, उपनिरीक्षक, पुलिस थाना गांधीनगर, आयुक्तालय जयपुर पूर्व को 1,25,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों डिटेन किया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक, श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपीया राजकुमारी जुनेजा से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।